

बिहार सरकार,  
शुद्ध कार्य, खेल एवं संस्कृति विभाग ।


पटना, दिनांक-

अधिसूचना

संख्या- 19/पी।-27/94 **213** / मिथिला हनुमन्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं  
पारंपरिक चिकित्सा महाविद्यालय, इंद्रिरा नगर, गोर्दीमिश्र लगना, जयधामपुर, दरभंगा  
को विभागीय अधिसूचना संख्या-480 दिनांक 29.3.87 एवं अधिसूचना संख्या-52  
दिनांक 21.1.89 के द्वारा अगले आदेश तक औपचारिक मान्यता प्रदान की गई है ।  
इसके स्पष्ट होता है कि इस महाविद्यालय की मान्यता अगले आदेश तक स्थायी रूप में  
मान्यता प्राप्त है : तथा परीक्षा समिति को प्रेषित विभागीय गोपनीय पत्रांक 115  
दिनांक 5.11.89 के कंडिका-7 में इस महाविद्यालय को स्त्र "35-37" से प्रत्येक वर्ष  
में सीपीएस स्क में 225 एवं हीड पीड स्क में 125 छात्रा/छात्रों को परीक्षा में  
सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है ।

2- विभागीय त्रिपांक -351 दिनांक 24.6.90 द्वारा प्रेषित एवं दिनांक  
11.8.93 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका- 4 में अंकित इस  
महाविद्यालय के स्त्र "35-38 तक " लिखा शब्द जो छ गया है को निरस्त किया  
जाता है तथा यथा लिखित अधिसूचनाओं एवं राज्यादेश में निर्दिष्ट शर्तों, विहित  
परीक्षाओं एवं निर्धारित छात्र/छात्रों की संख्या सहित इस महाविद्यालय की स्थायी  
मान्यता अगले आदेश तक प्रदान की जाती है ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
श्री. सु. सहाय प्रसाद  
सरकार के उप सचिव, बिहार ।

त्रिपांक- **213**

पटना, दिनांक - **31.5.95**

प्रतिनिधिप- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार  
राजपत्र के आभासी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया अधिसूचना की प्रकृति  
प्रतियाँ निदेशालय को भेजने का कष्ट करें ।


  
श्री. सु. सहाय प्रसाद  
सरकार के उप सचिव ।

त्रिपांक- **213**

पटना, दिनांक - **31.5.95**

प्रतिनिधिप- जिला पदा, दरभंगा/देशीय शिोपीनदेशक, दरभंगा/ जिला शिक्षा  
पदा, दरभंगा/अधीक्षक, शां शां, दरभंगा/प्राचार्य, राठ स्वतंत्र एवं शां प्रो महावि  
राजेन्द्रनगर, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17/श्री के  
शा, सचिव- सह निदेशक, मिथिला हनुमन्त राठ स्वा एवं शां शिो महाविद्यालय,  
इंद्रिरानगर, गोर्दीमिश्र लगना, जयधामपुर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधि प्रेषित

2- सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के-395 दिनांक  
1-8-94 में उपाये गये विन्दुओं के संबंध में निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिसूचनाओं  
के आशु में इस महाविद्यालय के पूर्ववर्ती एवं नियमित छात्र/छात्रों की परीक्षा  
संचालन हेतु आवश्यक कारवाही की जाय ।

  
श्री. सु. सहाय प्रसाद  
सरकार के उप सचिव, बिहार ।